छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, सेक्टर – 19, नया रायपुर (छ.ग.) 492002
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 2085/तक.सू.अ./छ.ग.प.सं.मं/2018 नया रायपुर, दिनांक 30/5/2018

प्रति,

श्री विनोद चावड़ा, अधिवक्ता,
आत्मजा–स्व. गोविंदभाई चावड़ा,
जियोंःम्–ब्रम्हशाला, एमआईजी 706,
पदमनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– आपका आवेदन पत्र दिनांक 21/05/2018, इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 25/05/2018.

——:: 000 ::——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी/दस्तावेज कुल 02 पृष्ठों की सत्यापित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

30/5/2018

(ए.के. गेडाम)
जन सूचना अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता
श्री आर.पी. तिवारी
अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य अभियंता (प्रभार)
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
पर्यावास भवन, सेक्टर–19,
नया रायपुर (छ.ग.) 492002

शाखा तकनीकी/रायपुर – 225/III क्रमांक (120) (1)

विषय मेसर्स बलदेव एलायज प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, जिला–रायपुर

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

R. NO. 800 Date-23-04-2018

श्री विनोद चावड़ा, अधिवक्ता, एम. आई. जी. 706, पानी टंकी के पास, विश्वदीप स्कूल के पीछे, पद्मनाभपुर, दुर्ग का पत्र दिनांक 18-04-18 मेसर्स बलदेव एलायज प्रायवेट लिमिटेड, के विषयांकित विधिक अग्रिम सूचना बाबत् पत्र प्राप्त पत्र हुआ है। कृपया अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

26-4-18

S.E. महोदय

26/4/18

SE(B)

कृपया प्राप्त नोटिस का अवलोकन हो, प्रकरण पर Law intern के टीप ली जाना प्रस्तावित है।

26/4

अति. सचिव

Pl. proceed

28/04/18

SE(B)

Law intern

27/4

As per the records of documents available, the Industry had filed and given the 'Consent' as per the requisite documents mandatory for the 'Consent Renewal' from time to time. The issue regarding the cheating and fraud on part of the Directors is the internal matter of the Management of the Industry. And Regarding this, they had already approached the Hon'ble National Company Law Tribunal at Mumbai. The Hon'ble NCLT directs as "whereby the Respondents including R5 are hereby directed not to create

सत्यापित

(... ...)
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

(2)

शाखा तकनीकी / रायपुर – 225 / III क्रमांक (121)

विषय मेसर्स बलदेव एलायज प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, जिला–रायपुर

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

(*) any further third-party rights over R1 property sold to R5 until further orders. Hence, they had not stayed the operations of the Industry.

And Pollution Board (CECB) is the regulatory Authority over the industry running the State of Chhattisgarh, in terms of pollution as under environmental laws.

Henceforth the Board had not dishonored any law and issued the 'Consent letter' as per the provisions under the Water Act, 1974 & Air Act, 1981 and after fulfilling other required eligibility.

For your kind perusal & necessary Action.

Kanwal 27/4/13

S.E.(B)

कृपया टीप अवलोकनार्थ प्रस्तुत

अ.क्रु 1/5

As per the advice of the Law intern, we shall maintain status quo until further directions / decisions from the court / NGT.

2/05/13

SE(B)

SE(S)

1/5

01/5

सत्यापित

(जन सूचना अधिकारी)

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल